लोक अदालत में निपटाए गए 2018 मामले

- **7.61 करोड़ रूपये के मामलों को सुलझाया गया**
- **उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति देखते हुए किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई**

नई दिल्लीः 18 जनवरी, 2012। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएसएलएसए) के सहयोग से बीआरपीएल द्वारा आयोजित दो दिवसीय लोक अदालत ने बिजली चोरी मामलों के निपटारे का एक नया रेकॉर्ड बनाया है। साकेत कोर्ट में इस शनिवार व रविवार को आयोजित लोक अदालत में 2018 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। कुल 7.61 करोड़ रूपये के मामलों को सुलझाया गया।

लोक अदालत ने दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के बीआरपीएल उपभोक्ताओं को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया, जहां उन्होंने सौहार्द्रपूर्ण माहौल में अपने बिजली चोरी मामलों का ऑन–द–स्पॉट निपटारा करवाया। इस लोक अदालत में समाज के सभी वर्गों के लोगों की उपस्थिति देखी गई। कई उद्योगपति और व्यवसायी आए, तो बड़ी संख्या में शोरूम मालिक, गेस्टहाउस संचालक और दुकानदार भी देखे गए। यहां तक कि गृहणियां भी नजर आईं। यहां साइकिल से लेकर मर्सिडीज तक में लोग आए।

बीआरपीएल के सीईओ श्री गोपाल सक्सेना के मुताबिक– दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस और डीएसएलएसए के एग्जेक्युटिव चैयरमैन माननीय श्री जस्टिस ए के सीकरी, डीएसएलएसए की मेंबर सेक्रेटरी सुश्री आशा मेनन और डीएसएलएसए (साकेत कोर्ट) की सेक्रेटरी सुश्री वृंदा कुमारी के उत्साहवर्धन और सहयोग की बदौलत हमारी लोक अदालत सफल रही। यहां आए मामलों में से 90 प्रतिशत से अधिक का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। श्री सक्सेना ने कहा कि यह एक ग्रीन लोक अदालत थी, जहां फाइलों व कागजों का इस्तेमाल नहीं किया गया और सारा काम ऑनलाइन हुआ। इससे 30 हजार ए4 साइज के कागजों की बचत हुई, जो 4 पूर्ण विकसित पेड़ों को बचाने जैसा है।

बीआरपीएल सीईओ ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने लोक अदालत में अपने मामलों का निपटारा करवाया, उन्हें तय रकम के भुगतान के लिए 15 से 45 दिनों का वक्त दिया गया है। उपभोक्ता की आर्थिक हालत को देखते हुए, कई लोगों को 3–4 किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है।

लोक अदालत में 25 लाख रूपये तक के, बिजली चोरी के मामले निपटाए गए। कटिया लगाकर की जाने वाली बिजली चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर की जाने वाली बिजली चोरी – दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा किया गया। बिजली चोरी के आम मामले तो यहां निपटाए ही गए, साथ ही, दिल्ली के विभिन्न कोर्ट्स में विचाराधीन बिजली चोरी के मामलों का भी यहां निपटारा किया गया।

वहां दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से कुल 12 अदालतें लगाई गई थीं। बीआरपीएल की ओर से 12 हेल्प डेस्क भी लगाए गए। दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा, बीवाईपीएल के करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को इस संबंध में पत्र / नोटिस भी भेज कर अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, बीआरपीएल की ओर से रेडियो के लोकप्रिय एफएम चैनलों पर सूचनाएं भी प्रसारित करवाई गईं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस मेगा लोक अदालत का फायदा उठा सकें।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीआरपीएल और बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: *प्रशान्त दुआ*
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999415 / 9350130304